दिनांक	आज्ञा पत्र	
07.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1, 2 व 3 लगायत 7 जरिये वकील उपस्थित आए तथा अप्रार्थी सं0 8 लगायत 12 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभय पक्ष द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम एंव जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि ग्राम मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर में प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में कृषि भूमि ख0नं0 1688, 1691, 1692, 1693,1710, 2124/2251, 2126, 2128, 2131, 2128/2185, 2129, 2130, 2132, 2133 कुल किता 14 कुल रकबा 8.9000 है0 ख0नं0 2134 रकबा 2.0500 है0, ख0नं0 1684 रकबा 0.8000 है0, ख0नं0 1685 रकबा 0.0400 है0, ख0नं0 1686 रकबा 0.7500 है0, ख0नं0 1687 रकबा 0.9600 है0, ख0नं0 1689 रकबा 0.4800 है0 ख0नं0 1690 रकबा 0.6500 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.6800 है0 अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण का मुताबिक जमाबंदी दर्ज हिस्सा है, जिसपर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को समझौता लिखावट के अनुसार बंटवारा नाप व सीमांकन द्वारा करवाने का कहने पर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विधिवत बंटवारा नहीं करवाया तथा स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा धमकी दी कि वह बिना विधिवत बंटवारा करवाये वादग्रस्त भूमि का एंव इसके विशिष्ट भू भाग पर विक्रय, अन्तरण,भूमाफियों व्यक्तियों को करेगा तथा प्रार्थीगण को बेदखल करेगा। प्रार्थीगण ने विधिवत बंटवारा करवाने एंव अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी सं0 3 ता 7 ने जवाब आवेदन पेश कर प्रार्थीगण को चाही गई सहायता दिये जाने में कोई एतराज नहीं होना बताया है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा जवाब आवेदन पत्र पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन, मिथ्या, निराधार होकर सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने के कारण तथा अप्रार्थी सं0 1 पर जबरदस्ती पड़ाव वाली भूमि ख0नं0 1684, 1689, 1690 थोपकर ग्राम खाटूश्यामजी नगर पालिका की सीमा के समीपस्थ भूमियां हड़पने की गरज से प्रस्तुत किये जाने के कारण टी0आई0 सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का जवाबुल जवाब पेश कर मद सं0 1 अस्वीकार की है। मद सं0 2 स्वीकार है। मद सं0 3 गलत है। मद सं0 4 सही होने से स्वीकार है। मद सं0 5 में कथन गलत है। मद सं0 6 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 7 गलत है। मद सं0 8 के तीनों सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। मद सं0 8 कानूनी है। जवाबुल जवाब आवेदन पेश कर अप्रार्थीगण का जवाब आवेदन अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।	

उपखण्ड अधिकारी (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

चूंकि प्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत बंटवारा हेतु पेश किया है, जो वर्तमान में तनकी में विचाराधीन है। अप्रार्थी सं0 3 ता 7 ने ईकबाली जवाब पेश कर प्रार्थीगण को चाही गई सहायता दिये जाने में कोई एतराज नहीं होना बताया है। अप्रार्थी सं0 8 से 12 को जरिये नोटिस सूचित करने पर बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम मंढा प0ह0 मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़,सीकर के वर्तमान ख0नं0 1688, 1691, 1692, 1693,1710, 2124/2251, 2126, 2128, 2128/2185, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133 कुल किता 14 कुल रकबा 8.9000 है0 ख0नं0 2134 रकबा 2.0500 है0, ख0नं0 1684, 1685, 1686, 1687, 1689, 1690 कुल किता 06 कुल रकबा 3.6800 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner